


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

03.05.2018

राजस्व वाद संख्या 13/2015 भाकरराम बनाम राजस्थान विद्युत प्रसारण
निगम अंतर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट लूणी में पेश हुई वकूलाय फरीकेन उपस्थित
वादी अधिवक्ता वाद को नोट प्रेस करते है तथा वाद को आगे नहीं चलाना
चाहते है। अतः वाद वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम
दफ्तर (जयपुर) राज.